माननीय जे.एल. गुप्ता जे. के समक्ष

केवल कृष्ण नागपाल - याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 7276

अप्रैल 1, 1992।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - समता - याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज में आशुलिपि / टंकलेखन में प्रशिक्षक है - पत्र के आधार पर प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार की समानता की मांग कर रहा है जिसमें सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षकों के ग्रेड को बढ़ाया जाए और प्रदर्शनकारियों के बराबर लाया जाए - अभिनिर्धारित - विश्वविद्यालय पदों के समीकरण के प्रश्न पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है -याचिकाकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बराबर व्यवहार किया जाए -कार्रवाई निष्पक्ष।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने सार्वजनिक निर्देश निदेशक, हरियाणा को इस पत्र को संबोधित किया था और सिफारिश की थी कि प्रशिक्षकों के ग्रेड को बढ़ाया जा सकता है और प्रदर्शनकारियों के बराबर लाया जा सकता है। पदों के समीकरण का प्रश्न तय करने के लिए विश्वविद्यालय न तो सक्षम है और न ही उसे बुलाया गया। यह विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है जिसे वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है।

(पैरा 4)

आगे कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में संबद्ध कॉलेजों में काम कर रहे हैं, उनके साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया गया है।

कार्रवाई स्पष्ट रूप से निष्पक्ष है, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी कॉलेजों में उनके समकक्षों की तुलना में तरजीह देने का कोई आधार नहीं है।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता की ओर सेवकील के एल अरोड़ा।

प्रतिवादी की ओर से हरियाणा राज्य के अधिवक्ता जसवंत सिंह

केवल कृष्ण नागपाल बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य 327 (जवाहर लाल गुप्ता, जे.)**

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) यह आदेश सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करेगा। 1988 की संख्या 7276 और 7283, 1989 की संख्या 3862, 1990 की संख्या 4580* और 1991 की संख्या 4577। 1988 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 7276 में उल्लिखित तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता आशुलिपि / टंकलेखन में प्रशिक्षक है। उन्हें 250-400 रुपये के वेतनमान पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता उन प्रदर्शनकारियों के साथ समानता का दावा करता है जिनका वेतनमान 256-400 रुपये से 500-900 रु. 1 जनवरी 1973 से प्रभावी और बाद में रु. 1,740-3,000 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी संशोधित किया गया था। इस दावे को पंजाब विश्वविद्यालय की सिफ़ारिश के आधार पर समर्थित करने की मांग की

गई है, - जो की उसके 12 सितंबर, 1976 के पत्र के द्वारा की गई थी , जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-6 के रूप में रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई है और दूसरी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा बनाई गई है, - 2 फरवरी 1960 के पत्र के माध्यम से (अनुलग्नक पी-7)। याचिकाकर्ता आगे दावा करता है कि हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार वह सेवा की उन्हीं शर्तों का हकदार है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों को प्रदान की जाती हैं। याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से और साथ ही संघ के माध्यम से किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा राज्य को रुपये के संशोधित वेतनमान रु 506-966 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी और 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी रु 1,740-3,000 को मंजूरी देने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई।

(3) प्रतिवादी की ओर से यह बताया गया है कि शॉर्टहैंड और टाइपराइटिंग में प्रशिक्षक प्रदर्शनकारियों के पदों पर बैठे व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों सहित शिक्षकों के वेतनमान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता के प्रशिक्षकों की श्रेणी का सवाल है, यह कहा गया है कि वेतनमान को सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले टाइपराइटिंग प्रशिक्षकों के लिए स्वीकार्य के रूप में

संशोधित किया गया था और वर्तमान में संबद्ध कॉलेजों में काम करने वाले टाइपराइटिंग प्रशिक्षकों को वही वेतनमान मिल रहा है। वेतनमान जैसा कि सरकारी कॉलेजों में प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है।'' यह भी बताया गया है कि प्रशिक्षकों का वेतनमान बढ़ाकर रु 426-766 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी, जिसे आगे बढ़ाकर रु 1, 200-2,040 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी किया गया।(यह तथ्य 1989 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3862 में उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है)।

(4) मैंने याचिकाकर्ता के लिए श्री के.एल. अरोड़ा और प्रतिवादी के लिए श्री.जसवंत सिंह को सुना है। श्री अरोड़ा का तर्क है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षक के पद को प्रदर्शक के बराबर कर दिया गया है। यह दावा उन पत्रों की प्रतियों पर आधारित है जिन्हें अनुलग्नक पी-6 और पी-7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 12 सितंबर 1972 के पत्र की एक प्रति (अनुलग्नक पी-6) से पता चलता है कि उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने यह संचार किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया है जिसका विवरण याचिकाकर्ता द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस पत्र को देखने से पता चलता है कि यह केवल एक सिफारिश की प्रकृति में था। 2 फरवरी 1980 के पत्र (अनुलग्नक पी-7) के संबंध में भी यही स्थिति है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने इस पत्र को सार्वजनिक निर्देश, हरियाणा के निदेशक को संबोधित किया था और सिफारिश की थी कि प्रशिक्षकों के ग्रेड को बढ़ाया जा सकता है और प्रदर्शनकारियों के बराबर लाया जा सकता है। पदों के समीकरण का प्रश्न तय करने के लिए विश्वविद्यालय न तो सक्षम है और न ही उसे

बुलाया गया। यह विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित है जिसे वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है।

(5) श्री अरोड़ा अधिनियम की धारा 4 और 6 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए तर्क देते हैं कि संबद्ध कॉलेजों में कर्मचारियों की सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जानी हैं। यह विवाद पूर्णतः निराधार है। धारा 4 और 6 पर ध्यान दिया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:-

"धारा 4. भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें: -

कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं:

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ में किसी मौजूदा कर्मचारी की सेवा की शर्तों में उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।

धारा 6. वेतन-

कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते और विशेषाधिकार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाएंगे।

धारा 4 के अवलोकन से पता चलता है कि भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें "ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं।" 'निर्धारित' का अर्थ है "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित।" तदनुसार, धारा 4 सरकार को नियमों की घोषणा द्वारा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है। मेरे ध्यान में यह दिखाने के लिए कोई नियम नहीं लाया गया है कि सेवा की शर्तें

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान होनी चाहिए। इसके अलावा, धारा 6 के अवलोकन से पता चलता है कि वेतनमान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वेतनमान वैसा होगा जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है। तदनुसार, धारा 6 भी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे का समर्थन नहीं करती है।

6) प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान के अनुसार, हरियाणा राज्य के संबद्ध कॉलेजों में काम करने वाले याचिकाकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया गया है। कार्रवाई स्पष्ट रूप से उचित है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं को सरकारी कॉलेजों में उनके समकक्षों की तुलना में वरीयता देने का कोई आधार नहीं है।

(7) चूंकि मैं गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार नहीं कर रहा हूं।

(8) तदनुसार, मुझे इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती। इन्हें बर्खास्त किया जाता है।कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी

संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्रम, हरियाणा